

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

सीधी भर्ती-2023

परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ)-सिविल (डिग्री)

राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के अन्तर्गत परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ)-सिविल (डिग्री) के 40 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

1. ऑनलाईन पंजीकरण, आवेदन व भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है।
2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) अथवा स्वयं के माध्यम से मण्डल को ऑनलाईन जमा करवायें।
 - (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 975/-
 - (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु -रूपये 875/-
 - (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु रूपये 775/-
 - (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 775/- देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट (ग) भी अवश्य देखें।)

नोट:-

- (क) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- (ख) परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
- (ग) सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 775/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

3. रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) –सिविल डिग्री																										
कुल पद	सामान्य(20)					अनुसूचित जाति (05)				अनुसूचित जनजाति (04)				पिछड़ा वर्ग (07)				अति पिछड़ा वर्ग (01)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (03)					
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्त	भू.पू. सैनिक	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्त	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्त	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्त	भू.पू. सैनिक	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्त	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्त
40	12	05	01	-	02	04	01	-	-	03	01	-	-	05	02	-	-	-	01	-	-	-	03	-	-	-
क्षैतिज आरक्षण – निःशक्तजन कुल 01 पद(दृष्टि बाधित/अल्प दृष्टि), उत्कृष्ट खिलाड़ी-01 पद, एवं राज. आवासन मण्डल कर्मचारी-01																										

नोट:-

- क. राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र उपरोक्त पदनाम संवर्ग में कोई पद न तो रिक्त है और न ही स्वीकृत है।
- ख. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) से होगा।
- ग. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना:-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
2. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
3. राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपर्युक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य

प्रक्रिया से भरा जाएगा।

4. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी ये महिला आवेदक हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

5. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिक्री इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
6. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12) / विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
9. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

10. भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :-

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा"

से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

- (2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988** के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (18) कार्मिक / क-2 / 84 पार्ट-1। दिनांक 17.04.2018 यथा संशोधित एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए हैं, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

"कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।"

"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक / या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो. का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।"

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।

किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा राज्य के अधीन किसी भी लोक सेवा में नियोजन स्वीकार कर लेने के बाद वह भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपनी प्रास्थिति (Status) खो देगा और वह केवल लोकसेवक (Civil Employee) के रूप में ही माना जाएगा। अर्थात् भूतपूर्व सैनिक के रूप में देय आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त लोक सेवा के किसी पद पर पुर्नियोजन स्वीकार करते ही उसका भूतपूर्व सैनिक के रूप में कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार सामान्यतः समाप्त समझा जावेगा, परन्तु सीधी भर्ती के ऐसे पदों के संबंध में, जहां नियमों में निम्न पद का अनुभव भी निर्धारित किया गया है, किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा निम्न पद

पर नियोजित होने के कारण, भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का अधिकार समाप्त हुआ नहीं समझा जायेगा परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पद जिसके लिये उसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख वार ब्यूरो के बारे में स्वतः घोषणा पत्र / बचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक / संविदा / अस्थाई / तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

11. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F-5(31)DOP / A-II / 84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्वी वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी / ए- 11 / 84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (31) डीओपी / ए- 11 / 84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने :-

- 1- उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क. सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम
(1)	(2)	(3)
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स: जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप / विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप

	एफ.)	
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप

या

- 2- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो

या

- 3- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो

या

- 4- एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

- 5- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।”

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की हैं तो मण्डल द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

12. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये प्रावधान :-

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2019 के द्वारा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 लागू किये गये हैं, अतः उक्त नियमों के अनुसार विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

- i- B/+LV (Blindness/ Low vision) (दृष्टि बाधित/अल्प दृष्टि)
- ii- HI (Hearing Impairment) (श्रवण बाधित)
- iii- LD/CP (Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
- iv- Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.
- v- Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to (iv) including deaf blindness in the posts identified for each disabilities-

a. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

b. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती

वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

- c. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
- d. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
- e. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम 2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6 (ए) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।":
4. **वेतनमानः**— राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) —सिविल (डिग्री) पद हेतु पे—मैट्रिक्स लेवल L-10 वेतनमान होगा। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

5. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता—

Degree in Engineering in respective branch from a University established by Law in India or qualification equivalent thereto declared by the Government.

एवं

- (3) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।
- (ii) जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो सम्बन्धित नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन उसे परीक्षा में उपस्थित होने से पहले उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

Scheme of examination

There shall be one paper. The marks and time allowed for each section of paper shall be as under:

	Name of Paper	Questions	Marks	Time

(i)	Section A- General Awareness & Aptitude Test-			3 Hours
	(a) General Knowledge of Rajasthan and its History , Art & Culture, Literature, Monuments, Heritage, Geography, Traditions, etc.	30	90	
	(b) Every day Science, General Aptitude e.g. History, Maths., innovation, Indian and International events etc.	30	90	
(ii)	Section B – Civil Engineering	90	270	

Note:

- 40% shall be pass marks for the exam.
- Senior Secondary Level will be the standard of the Section –A of paper & Section B is of Degree level.
- The pattern of question paper will be Objective Type (MCQ).
- Maximum Marks and Negative Marking-The maximum marks of the paper will be 450. For every correct answer 3 marks will be awarded and for every incorrect answer 1 marks will be deducted.

SYLLABUS

On-Line Examination

Section - A

General Awareness & Aptitude Test-

(a) Knowledge and Current Affairs relating to Rajasthan,

(राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परम्पराएँ एवं विरासत)	
1.	राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत
2.	राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएँ
3.	राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ
4.	मुगल-राजपूत संबंध
5.	स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएँ
6.	महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनायें
7.	राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी-देवताएँ
8.	राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएँ, बोलियाँ एवं हस्तशिल्प
9.	राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ
10.	मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्ययंत्र एवं आभूषण
11.	राजस्थानी संस्कृति, परम्परा एवं विरासत
12.	महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल
13.	राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व
14.	राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ, 1857 का जन-आंदोलन
15.	कृषक एवं जन-जाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन
16.	राजस्थान का एकीकरण
17.	राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास- महिलाओं के विशेष संदर्भ में।
राजस्थान का भूगोल	
1.	स्थिति एवं विस्तार
2.	मुख्य भौतिक विभाग:- मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश. पठारी प्रदेश
3.	अपवाह तन्त्र
4.	जलवायु
5.	मृदा

6. प्राकृतिक वनस्पति
7. वन एवं वन्य जीव संरक्षण
8. पर्यावरणीय एवं पारिस्थिकीय मुद्दे
9. मरुस्थलीकरण
10. कृषि- जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें
11. पशुधन
12. बहुउद्देशीय परियोजनाएँ
13. सिंचाई परियोजनाएँ
14. जल संरक्षण
15. परिवहन
16. खनिज संपदाएँ

राजस्थान की
राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था:-

1. राजस्थान में स्थानीय, नगरीय प्रशासन
2. 74वां संविधान संशोधन विधेयक
3. राज्यपाल, राजस्थान विधान सभा, मुख्य मंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त
4. राज्य मानवाधिकार आयोग
5. राज्य सूचना आयोग
6. राज्य निर्वाचन आयोग
7. राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011

(b) General Science, General Aptitude e.g. History, Maths., innovation, Indian and International events etc.:-

1. General Science:- General Science will cover General Application and understanding of Science including matters of everyday observations and experiences. Candidates are supposed to be familiar with matters such as electronics tele-communications, Satellites and elements of computers (both Hard & Soft Wares), research labs including CSIR managed national labs and institutes, Environment & pollution etc.
2. Current affairs: - Current events of State, National and International importance. National and International agencies and their activities. Games & Sports at State, National and International levels.
3. History & Culture: - Land Marks in the political and cultural history of India, Major monuments and literary works. Renaissance, struggle for freedom and national integration & Culture with special reference to:-
 - (a) The medieval background.
 - (b) Socio-economic life and organization.
 - (c) Freedom movement and political awakening.
 - (d) Political integration.
 - (e) Dialects and Literature.
 - (f) Music, Dance & theatre.
 - (g) Religious beliefs, cults, saints, poets, Warrior-saints, Lok Devtas & Lok deviyans.
 - (h) Handicrafts.
 - (i) Fairs and Festivals, Customs, Dresses, Ornaments with special reference to Folk and tribal aspects thereof.
4. Economic Developments:- Food and Commercial crops of Rajasthan, Agriculture based Industries, Major irrigation and River Valley, Projects for the development of the desert and waste lands. Indira Gandhi Canal Project, growth and location of Industries, Industrial raw materials. Mineral based industries, Small scale and Cottage industries, export items Rajasthani handicrafts. Tribes and their economy. Cooperative movement, Tourism Development. Economic Reforms in India and their impact.
5. Geography and Natural Resources:-
 - (a) Broad – physical features of the world important places, rivers, mountains, continents, oceans.
 - (b) Ecology and wild-life of India.

Section- B

1. Building Technology and Construction Management

Building Materials: stones, bricks, steel, Timber, lime, cement, sand, aggregates for cement concrete, paints, distempers, use of pozzolana manufacturing of lime concrete, cement concrete, for plain, reinforced and pre-stressed concrete work.

Road Materials: Course aggregate, screening and binding materials for WBM, Bricks for soiling. Course and fine aggregate for bituminous roads, IRC standard size aggregates, Tars and Asphalt, Asphaltic emulsions

Mastic Asphalt and Minerals Fillers Construction Management: Plants and equipments, planning for construction using network analysis CPM and PERT techniques.

2. Fluid Mechanics

Fluids: Definition, Ideal fluids, real fluids, Newtonian and Non-Newtonian fluids.

Properties of Fluids: Units of measurement, Mass density, Specific weight, Specific volume, Specific Gravity, Viscosity, Surface tension and Capillarity, Compressibility and Elasticity.

Hydrostatics: Pressure at a point in a static fluid; pressure variation in an incompressible static fluid; atmospheric pressure, Gauge pressure, vacuum pressure, absolute pressure, Manometers Bourdon pressure gauge.

Buoyancy: Forces acting on immersed plane surface. Centre of pressure, forces on curved surfaces, Conditions of equilibrium for floating bodies, meta-centre and met centric height experimental and analytical determination of met centric height.

Equilibrium of Fluid particles and flow: Fluid mass subjected to horizontal and vertical acceleration and uniform rotation.

Hydro-kinematics: Types of Flows: Steady and unsteady, uniform and non-uniform, stream lines, path lines, stream tubes, principles of conservation of mass, equation of continuity, acceleration of fluid particles local and connective, Rotational and irrotational motions, free and forced vortex, circulation and vorticity velocity potential and stream function, elementary treatment of flow net. Euler's equations of motion and interaction of Euler's equations, Bernoulli's equation for incompressible Fluids, assumptions in Bernoulli's equation, Energy correction factor.

Applications for Bernoulli's equation: Pilot tube, Venturi meter, orifices & mouth pieces, time of emptying of tanks by orifices, sharp edged rectangular, triangular and trapezoidal notches, Francis formula, velocity of approach. End contractions Cippoletti Weir, time of emptying reservoirs by weirs.

Momentum Equation and its Application: Development of momentum equation and control volume concept, Momentum correction factor, applications- Borda's Momentum Equation and its Application: Development of momentum equation by control volume concept, Momentum correction factor, applications- Borda's mouth pieces, sudden enlargement of flow, pressure on flat plates, Nozzles.

Flow Through Pipes: Laminar flow, Reynolds experiment, transition from laminar to turbulent flow. Turbulent Flow: Laws of fluid friction, friction factor Moody's diagram, loss of head due to friction and other causes. Hydraulic gradient, total energy line Chezy's, and Manning's formula, flow through parallel pipes and pipes in series, flow through branched pipes. Flow along a bypass. Power transmission through pipe, condition for maximum power. Elementary water hammer concept.

3. Surveying, Estimating Costing & Field Engineering

Introduction: Importance of surveying to engineers, Plane and geodetic surveying, methods

of location of points, principle of surveying from whole to part, conventional signs.

Measurement of Distances: different types of chains, tapes and their uses. Sources of error and precautions, corrections to tape measurements. Field problems in distance measurements. Advance techniques of distance measurement.

Measurement of Angles And Direction: Different types of direction measuring instruments and their uses. Reference meridians, Bearing and azimuths, magnetic declination and its variation. Use and adjustment of surveyors and prismatic compass.

Vernier and micro optic theodolite, temporary and permanent adjustment of vernier theodolite Measurement of horizontal and vertical angle by different methods. Application of theodolite in field problems.

Traversing: Different methods of traqversing chain & compass traverse, transit-tape traverse. Methods of computations and adjustment of traverse; transit rule, Bowditchrule, graphical method, axis method, Gales traverse table.

Leveling: Definitions of various terms in leveling. Different types of leveling. Sources of errors in leveling curvature and refraction corrections. Temporary and permanent adjustment of dumpy and tilting levels. Computation and adjustment of level. Profile leveling, L-Section and cross-sections.

Plane Table Suveying: Elements of plane table survey working operations, methods of plane table survey; intersection travesing and resection, two point and three point problems.

Contouring: Characteristics of contours, contour interval, contour gradient, Methods of locating counters, uses of contour maps.

Trigonometric Leveling: Trigonometric leveling, Objects accessible and non-accessible, Determination of levels object-when.

Field Astronomy: Definitions of terminology used in Astronomy.

Introduction of Remote Sensing and GIS Estimation for quantities for various types of construction, Rate Analysis, Preparation of Tender & contract documents, Centre-line diagram, Building layout.

4. Irrigation & Water Resources

Definition, necessity, benefits, types and methods of irrigation, Hydrology- Measurement of rainfall, run off coefficient, rain guage, losses from precipitation- evaporation, infiltration etc. Water requirement of crops, duty, delta and base period, Kharif and Rabi Crops, Command area, Time factor, Crop Ratio, Overlap allowance, Irrigation efficiencies. Different type of canals, types of canal irrigation, loss of water in canals. Canal lining- types and advantages. Shallow and deep wells, yield from a well. Weir and barrage, Failure of weirs and permeable foundation, Slit and Scour, Kennedy's theory of critical velocity, Lacey's theory of uniform flow, Definition of flood, Causes and effects, Methods of flood control, water logging, preventive measure. Land reclamation, characteristics of affecting fertility of soils, purposes, methods, description of land and reclamation processes. Major irrigation projects in India.

5. Theory of Structures and Strength of Materials

Elasticity constants, types of beams-determinate and indeterminate, bending , moment and shear force diagrams of simply supported, cantilever and over hanging beams. Moment of area and moment of inertia for rectangular & circular sections, Bending moment and shear stress for T, channel and compound sections, chimneys, dams and retaining walls, Eccentric loads, slop deflection of simply supported and cantilever beams, critical load and columns. Torsion of circular section, Springs; Vibration.

6. Structural Analysis

Introduction to Indeterminate structures, Degrees of freedom per node, Static and Kinematic indeterminacy (i.e. for beams, frames & portal with & without sway etc.) Releases in structures, Maxwell's reciprocal theorem and Betti's theorem, Analysis of structures using Slope-deflection method. Analysis of structures using Moment-distribution method applied to continuous beams and portal frames with and without inclined members. Unit load method & their applications: deflection of determinate beams and frames, analysis of determinate and redundant frames up to two degree of redundancy, lack of fit in redundant frames.

7. Soil Mechanics and Foundations Engineering

Origin of soil, phase diagram, Definitions- void ratio, porosity, degree of saturation, water content, specific gravity of soil grains, unit weights, density index and interrelationship of different parameters, Grain size distribution curves and their uses. Index properties of soils, coefficient of permeability, determinations of coefficient of permeability, Unconfined and confined aquifers, effective stress, quick sand, consolidation of soils, Principles of consolidation, degree of consolidation, pre-consolidation pressure, normally consolidated soil, e-log p curve, computation of ultimate settlement. Shear strength of soils, direct shear test, Vane shear test, Triaxial test, Soil compaction, Laboratory compaction test, Maximum dry density and optimum moisture content, earth pressure theories, active and passive earth pressures, bearing capacity of soils, plate load test, standard penetration test.

8. Design of R.C. Concrete and Masonry Structures

RCC beams- flexural strength, shear strength, bond strength, design of singly reinforced and double reinforced beams, cantilever beams, columns, lintels. One way and two way slabs, isolated footings. Reinforced brick works, columns, staircases, retaining wall, water tanks (RCC design questions may be based on both Limit State and Working Stress methods)

Concrete Technology: Properties, Advantages and uses of concrete, cement aggregates, Importance of water quality, water cement ratio, workability, mix design, storage, batching, mixing, placement, compaction, finishing and curing of concrete, quality control of concrete, hot weather and cold weather concreting, repair and maintenance of concrete structures.

9. Design of Steel Structures

Steel Design: Steel Design and construction of steel columns, beams roof trusses plate girders.

10. Construction Technology

Stone and Brick Masonry: Ashlar, course and random rubble, stone pillar, dry stone and arch masonry, Brick bonds and type of walls.

Lintels: Plastering, Pointing, flooring, expansion and construction joints; centering and shuttering, General Selection criteria of site, Planning and orientation of buildings.

Roofing: Stone slab, RCC, G.C. Steel, Asbestos cement and jack arch roofing.

Flooring: Cement concrete, flag stone, terrazzo mosaic, Terrazzo tile, Brick on edge, timber Granolithic, Linoleum and other floorings.

Plastering: Lime, cement sand, composite and rough coat plaster, Plaster of Paris, Painting, Damp proof course, anti-termite treatment.

Centering and Shuttering: Centering form work, shuttering and moulds, timber & Steel trestles and false work, scaffolding and shoring, under pinning.

11. Auto-Cad Civil Engineering Drawing

12. Public Health Engineering

Per capita requirement of water for urban areas, Forecast of population. Sources. Water supply standards of purity of public water supplies with various methods of purification; House drainage system. Distribution network with all the ancillaries: system of drainage. Layout of sewerage systems. Primary, secondary treatments, trickling filters, lagoons and other treatment unit sand their design criteria. Flushing of sewers; sewage treatment; Urban water supply and sanitation.

13. Highway and Bridges

Principles of highway planning: classification of road land width, building line, center line, formation width, pavement width, Camber, longitudinal gradient sight distance, horizontal curve, super elevation, vertical curve, lateral and vertical clearances.

Flexible pavements: Sub-base, base course and shoulder stone/ Kankar brick soling, WBM courses, shoulders. Granual sub-base, stabilized soil roads cement/ lime stabilized sub base, sad bitumen base course, crushed cement concrete base/sub-base course. Prime and take coats, surface dressing, open graded premix carpet, semi dense carpet, build-up spraygrout base course, bituminous base binder course. Asphaltic Concrete, seal coats, mixed seal surfacing. Penetration macadam base/binder course, full and semi groups.

Traffic Engineering : traffic characteristics, road user characteristics, vehicular characteristics, volume, speed and delay studies origin and destination study, traffic flow characteristics, traffic capacity and parking studies, traffic regulation, traffic control devices, Intersection control.

Alignment: traffic engineering, pavement design, paving materials and highway construction and maintenance of different types of roads.

6. अन्य योग्यताएँ :-

(1) **स्वास्थ्य**— उपरोक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उपरोक्त वर्णित पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र**— सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उपरोक्त वर्णित पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो

7. राष्ट्रीयता :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो. या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा,

श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
नोट:—परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख) (ग), (घ). (ङ.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा पात्रता का वांछित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. आयु:— आवेदक को दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए।

निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है:—

- i. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- ii. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।
- iii. राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सहरिया वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।
- iv. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- v. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था. उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
- vi. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे हैं की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जन्ट अस्थाई नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं होगी।
- vii. एन.सी.सी. के कैडेट अनुदेशकों (Cadet Instructors) के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा को उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिमाणिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
- viii. विधवाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी। स्पष्टीकरण उसे विधवा होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी से जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और तलाकशुदा होने के मामले में नियमानुकूल माननीय न्यायालय से जारी विवाह विच्छेद की डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।
- ix. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- x. जो व्यक्ति 31-12-2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31-12-2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जायेगा।
- xi. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम-2018 के उपनियम 6-A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को उपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह

छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट:—उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से x तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात् दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा। आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

9. **पेंशन:**— नये भर्ती / नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये मण्डल द्वारा नियमानुसार देय पेंशन योजना लागू होगी।

10. **विवाह पंजीयन** :— शासन के परिपत्र क्रमांक प.6 (19) गृह-13 / 2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

11. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:**—

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (c.s.c.). नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 19-07-2023 से दिनांक 18-08-2023 को रात्रि 12:00 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 19-07-2023 से दिनांक 18-08-2023 को रात्रि 12:00 बजे तक मण्डल की वेबसाइट पर भरें जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

12. **परीक्षा आयोजन:**— उपरोक्त वर्णित पदों की परीक्षा मण्डल द्वारा संभावित माह **सितम्बर** को आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना मण्डल की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। मण्डल के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

13. **प्रवेश पत्र:**— वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र पंजीकृत ई-मेल पर भी भेजे जावेंगे। मण्डल की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी।

14. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में:**— सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. **नियुक्ति की अयोग्यताएं** :—

- i. किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि मण्डल संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- ii. किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि मण्डल संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- iii. कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा / होगी, यदि

- उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।
- iv. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा । परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी ।
- v. कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य किसी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने या कांट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या मण्डल द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा ।

16. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान :-

- i. अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरान्त अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है ।
- ii. आरक्षित पदों हेतु अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे ।
- iii. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो । अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है । अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा । कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार उक्त परिपत्र के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है:- "यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जाये कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।"
- iv. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-

- 1- अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
- 2- क्रिमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रिमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
- 3- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।
- v. अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- vi. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सहरिया आदिम जाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सहरिया आदिम जाति की विवाहित महिला आवेदक को इन वर्गों के लिये आरक्षित पदों का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- vii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 110/आ.क.व/डीडीवीसी/सान्याअवि/ 19/28046 दिनांक 06.05. 2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
- viii. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।
- ix. भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र / एन ओ सी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
- x. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों हेतु सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र जो ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व का हो का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्कृष्ट खिलाड़ी

कोटे के पदों का लाभ देय होगा।

xi. विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज / साक्ष्य जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो यथा विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र पति के नाम से जारी मूल निवास / जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

xii. परित्यक्ता / विवाह विच्छिन श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री / आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

xiii. शासन के परिपत्र क्रमांक पं.6 (19) गृह-13 / 2006 दिनांक 22.05.2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना वांछनीय है।

xiv. विवाहित महिलाओं के लिये संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं विधवा और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा / परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

xv. अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख / अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य है।

xvi. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक के विरुद्ध ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे मण्डल सेवा में नियुक्ति में बाधा / समस्या उत्पन्न हो किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध होने या प्रकरण / वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प (1) कार्मिक / क-2 / 2016 दिनांक 04.12.2019 के प्रावधानुसार अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

xvii. अभ्यर्थी को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासमय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं मण्डल सेवा के लिये पूर्णतः उपयुक्त है।

xviii. ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो, या राजकीय औद्योगिक उपक्रमों में हो, या किसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो, या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हें नियुक्ति के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो आवेदक पहले से ही राजकीय सेवा / उक्त उपक्रमों में कार्यरत है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस भर्ती हेतु आवेदन करने की लिखित सूचना दी जाकर अनापत्ति प्राप्त कर लेना चाहिये। संबंधित नियुक्ति अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को पूर्व सेवा से त्यागपत्र देकर नव-नियुक्ति के समय त्याग-पत्र स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश प्रस्तुत करना होगा।

xix. उक्त समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।

xx. आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की जायेगी अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

xxi. किसी भी प्रतियोगी/पात्रता परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है। इस भर्ती हेतु आवेदन नहीं कर सकते।

17. ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

18. श्रुत लेखन की सुविधा:- सामान्यतया: सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से भरने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियाँ नहीं होने के कारण भरने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित मण्डल को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रति केन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

19. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया मान्य नहीं होगी।

20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:- आवेदकों को अपने ऑनलाइन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/मण्डल द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 6) के प्रावधानों के तहत यथा वर्णित किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या उनका सहारा लेने, अनाधिकृत प्रवेश, प्रश्न-पत्र का कब्जा व प्रकटीकरण तथा संबंधित अपराधों के लिए कठोर कानून का प्रावधान किया गया है। अनुचित साधनों में लिप्त परीक्षार्थी के लिए तीन वर्ष तक के कठोर कारावास एवं रूपये 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख) न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र या अधिनियम वर्णित अनुचित साधनों में लिप्त होने पर या दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम पाँच वर्ष के कारावास जो कि दस वर्ष तक हो सकता है एवं न्यूनतम रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख) का जुर्माना जो कि दस करोड़ तक हो सकता है, के दण्डित करने के प्रावधान किए गए हैं दोष सिद्धि पर दो वर्ष की कालावधि के लिए कोई सार्वजनिक परीक्षा देने से विवर्जित

किए जाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त अधिनियम की विहित अनुसार कठोर पालना सुनिश्चित की जाएगी।

21. **मण्डल की वेबसाइट:-** अभ्यर्थी मण्डल की वेबसाइट urban.rajasthan.gov.in/rhb के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना / स्पष्टीकरण राजस्थान आवासन मण्डल , जयपुर के परिसर में स्थित नागरिक सेवा केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, जयपुर-302005 को सम्बोधित किया जायेगा।